कैंसर मरीजों के लिए आर्थिक सहायता

महावीर मन्दिर ट्रस्ट द्वारा

1) 18 साल तक के बच्चों का मुफ्त इलाज

2) जाँच के लिए प्रति बच्चा 15,000 रूपये की आर्थिक सहायता

3) बिहार, नेपाल एवं बंगलादेश से आये मरीजों के लिए 10,000 रूपये की आर्थिक सहायता। विदशियों के लिए यह राशि उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी गयी है

4) अत्यंत गरीब मरीज जो भुगतान करने में बिल्कुल असमर्थ हैं उन्हें समीक्षा समिति द्वारा पारित होने पर 50 प्रतिशत तक की छूट

5) संस्थान में इलाज करा रहे मरीजों को मात्र 100 रूपये में रक्त एवं रक्त स बने अवयव दी जाती है जो देश में अन्यत्र कहीं नहीं है।

6) अत्यंत गरीब मरीजों के बिल में 10 से 50 प्रतिशत तक की छूट

महावीर कैंसर संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। 50 पतिशत तक की छूट एक समीक्षा समिति द्वारा दी जाती है, जिसका भुगतान महावीर मन्दिर द्वारा किया जाता है।

7) विभिन्न मन्दिरों के साधुओं को दवा सहित मुफ्त इलाज।

8) भर्ती मरीजों को प्रतिदिन मुफ्त में भोजन जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना एवं रात का खाना शामिल है

9) मृत रोगी के शव को ले जाने के लिए "अंतिम यात्रा" एम्बुलेंस सेवा पटना नगर निगम के इर्द–गिर्द और उसके आस–पास निःशुल्क उपलब्ध है।

वैसे मरीज जिनकी मृत्यु हो गयी है और अस्पताल के बकाये का भुगतान करना शेष रह गया है उन्हें भी बकाया राशि माफ करते हुए उनके शव को गंतव्य स्थान तक मुफ्त में भेज दिया जाता है।

वैसे मरीज जो बिहार या झारखण्ड जाना चाहते हैं उनके लिए अत्यंत सब्सिडी वाली एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध है।

बिहार सरकार (मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से)

1) वैसे मरीज जो बिहार के निवासी हैं और उनकी वार्षिक आय प्रतिवर्ष 2,50,000 रूपये से कम है। मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से इलाज के लिए 80,000 से 1,00,000 रूपये तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।

2) बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट के लिए 5 लाख रूपये तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।

3) मरीजों की सुविधा का ध्यान रखते हुए अस्पताल मे ही दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा किया जाता है। अस्पताल के कर्मचारी सचिवालय जाकर आवेदनों को जमा करते हैं, जिससे गरीब, अशिक्षित ग्रामीण मरीजों को बड़ी सुविधा मिल रही है।

भारत सरकार

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी कैंसर मरीजों को मदद देने का प्रावधान है।

आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ;च्ड.श्र।ल्द्ध के लिए महावीर कैंसर संस्थान का जब से चयन हुआ है, तब से हजारों मरीजों का इलाज हो चुका है।

- ❖ इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य लाभ मिलने का प्रावधान है।
- ❖ कैंसर मरीज अपना राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर ब्लॉक 'ए' के द्वितीय तल पर कमरा नं० 222 में जाकर अपना गोल्डेन कार्ड निर्गत किया गया है या नहीं इसके बारे में पता कर सकते हैं।
- ❖ भारत सरकार के इस योजना के तहत मरीजों के लिए विशेष ओ.पी.डी. की व्यवस्था की गयी है। इन्डोर सुविधा भी खासकर की गयी है ताकि इस योजना के तहत विशेष सुविधा उपलब्ध किया जा सके।
- ❖ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 2018 में इस योजना की शुरूआत के बाद लगभग 25000 से अधिक रोगियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। झारखण्ड, यू.पी, एम. पी, गोवा, दमन, महाराष्ट्र आदि के मरीजों ने भी महावीर कैंसर संस्थान में इस सुविधा का लाभ उठाया है।
- ❖ बिहार राज्य में इस योजना के तहत कैंसर रोगियों को सुविधा प्रदान करने में महावीर कैंसर संस्थान शीर्ष पर है।
- ❖ राज्य के निजी अस्पतालों में महावीर कैंसर संस्थान को इन चार वर्षों में राज्य में उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है।
- ❖ इस श्रेणी के रोगियों की सुविधा के लिए चिकित्सा पर्यवेक्षण की प्रत्यक्ष देखरेख में अलग टीम बनाई गई है।

❖ इण्डियन कैंसर सोसाइटी (आई.सी.एस.)

इण्डियन कैंसर सोसाइटी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संदिग्ध कैंसर रोगियों की जांच के लिए 25000 रूपये की सहायता दी जाती है।

निदान के बाद इण्डियन कैंसर सोसाइटी द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

<u>अस्पताल प्रबंधन</u> : अस्पताल प्रशासन द्वारा भी अत्यंत गरीब मरीजों को अलग से छूट दी जाती है।

<u>बंसी विद्या मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली</u> : बंसी विद्या मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा एक्यूट ल्यूकेमिया से पीड़ित बच्चों को 20,000 रूपये की सहायता दी जाती है।

साथ ही एक अभिभावक को निःशुल्क भोजन के लिए एक कूपन भी दिया जाता है।